



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 967) पटना, शुक्रवार, 26 नवम्बर 2021

lkekU; i'kk lu foHkkx

vf/k lpuk

24 सितम्बर 2021

सं० 7/स्था0-04-14/2021-11268/सा0प्र0—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-37251 दिनांक 28.08.2021 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती संगीता रानी, तत्कालीन सब जज-सह-ए0सी0जे0एम0, मंझौल, बेगूसराय न्यायमंडल अन्तर्गत (वर्तमान में निलंबित मुख्यालय पटना) को बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020 के भाग V के नियम 11 (ix) में निहित प्रावधान के तहत सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के अलावा अन्य कुछ भी देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

शालिग्राम पाण्डेय,

सरकार के अवर सचिव।

Jherh lxhrk jkuh] rRdkyhu lc t t lg&,0lh0t0,e0] e>ky] cxlj; U;k;eMy vUrxr
%oreku e fuyfcr e[;ky; iVuk%

Ikkorh

मैं..... सम्प्रति पद का धारक
उपर्युक्त अनिवार्य सेवानिवृत्त-आदेश की मूल नोटिस की प्रति स्वीकार करती हूँ।

gLrk{kj &
inuke &
LFkku &
fnukd &

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 967-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>